

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

अंतर्गत

विद्यालय सुरक्षा पर्खवाइ छेनु प्रशिक्षण मॉड्यूल




मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

अंतर्गत

विद्यालय सुरक्षा परखबाड़ा हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल



संदेश



व्यास जी
 भा०प्र०स० (से०नि०)
उपाध्यक्ष
 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार एक बहु—आपदा प्रवण राज्य है। राज्य का एक बड़ा भू—भाग भूकंप, बाढ़, सुखाड़, चकवाती तूफान, आग, वज्रपात, शीतलहरी एवं लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, झूबने जैसी गैर—प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। आपदाओं की एक प्रकृति यह होती है कि यह कुछ संवेदनशील समूहों को अधिक प्रभावित करता है, यथा—महिलायें, वृद्ध, निशक्त, दिव्यांग एवं बच्चे आदि। अतः इन संवेदनशील समुदायों की आपदा से रक्षा हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

एक ओर जहां बच्चे आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, वहीं दूसरी ओर हम बच्चों को भविष्य में आपदाओं के प्रति तैयार कर ब्रॉड अम्बेस्डर के रूप में उनके माध्यम से परिवारों एवं समाज के एक बड़े भाग तक पहुंच सकते हैं।

आपदाओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता और भविष्य में उनको आपदाओं के प्रति तैयार करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री—सह—अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण की 7वीं बैठक (दिनांक 24.05.2013) में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1—15 जुलाई तक “विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा” एवं 4 जुलाई को “विद्यालय सुरक्षा दिवस” मनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में आपदाओं के प्रति जानकारी प्रदान करने के साथ—साथ मॉक ड्रिल के माध्यम से छात्र—छात्राओं को आपदाओं से बचाव का व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान किया गया। इसी क्रम में इस वर्ष भी राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रति दिन किसी प्रमुख आपदा से बचाव के बारे में बताने के साथ मॉक ड्रिल के माध्यम से बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों में आपदाओं से बचने एवं दूसरे को सुरक्षित करने हेतु अपेक्षित व्यवहार की जानकारी दी जायेगी।

“मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा” कार्यक्रम के अगले चरण में बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015—30 में लिए गये निर्णयों के अनुसार सुरक्षित शनिवार (Safe Saturday) की अवधारणा को मूर्तरूप देने का प्रयास किया जायेगा।

“मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा” कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।

(व्यास जी)

संदेश



संजय कुमार सिंह

भा०प्र०स०

राज्य परियोजना निदेशक
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

बच्चों के समग्र विकास में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था का अहम् योगदान होता है। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुरक्षित वातावरण का होना अतिआवश्यक है। बिहार जैसे बहु—आपदा प्रवण राज्य में विभिन्न आपदा जनित घटनाओं से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और शैक्षणिक कार्य करते हैं। आपदाओं के समय विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ—साथ शिक्षण कार्य पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बच्चों का वैयक्तिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास बाधित हो जाता है। इसके प्रकोप से बच्चों में निराशा, कुंठा एवं अभिघात से ग्रस्त होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों एवं बच्चों को सुरक्षित बनाने की नितांत आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। अतएव मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों एवं बच्चों को सुरक्षित किया जाय एवं विभिन्न आपदाओं से होनेवाली क्षति को कम करने के प्रति जागरूक किया जाय ताकि आने वाली पीढ़ी हेतु एक बेहतर बिहार बनाने की परिकल्पना किया जा सके।

“मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा” कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की भौति इस वर्ष भी दिनांक 01–15 जुलाई तक “विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा” एवं 04 जुलाई को “विद्यालय सुरक्षा दिवस” मनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के छात्र—छात्राओं को आपदाओं से बचाव का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के साथ ही विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु मॉकड्रिल कराने हेतु राज्य स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में भरपूर सहयोग देने हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् हमेशा तत्पर रहेगा।

(संजय कुमार सिंह)

एक दिवसीय प्रशिक्षण तालिका

समय	विषय	साधन सेवी
09.00 – 10.00 AM	प्रतिभागियों का पंजीकरण (इसी समय इससे सम्बंधित CD चलाया जाये)	BEPC एवं BSDMA
10.00 – 10.20 AM	दीप प्रज्जवलन सह उदघाटन	
10.20 – 10.30 AM	प्रशिक्षण का उद्देश्य	BSDMA एवं UNICEF
10.30 – 10.50 AM	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम – क्यों और कैसे ?	BSDMA एवं UNICEF
10.50 – 11.45 AM	विभिन्न आपदाओं एवं उसके प्रबंधन से सम्बंधित जानकारी देना (मुख्य आपदाओं के बारे में – भूकंप, अगलगी, बाढ़ इत्यादि)	BSDMA एवं UNICEF
	चाय नाश्ता बीच में	
11.45 – 12.30 AM	विभिन्न आपदाओं एवं उसके प्रबंधन से सम्बंधित जानकारी देना (अन्य आपदाओं के बारे में)	BSDMA एवं UNICEF
12.30 – 01.30 PM	जिला, प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्यक्रम एवं उसके क्रियान्वयन की जानकारी।	BSDMA एवं UNICEF
1.30 – 2.30 PM	भोजनावकाश	
2.30 – 4.00 PM	मॉकड्रिल	NDRF / SDRF
4.00 – 4.15 PM	चाय का अवकाश	
4.15 – 4.30 PM	मॉकड्रिल पर चर्चा	NDRF / SDRF
4.30 – 5.00 PM	प्रत्येक जिला अपने जिले के लिए तय समयांतराल में एक Action Plan तैयार करेगा	

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का औचित्य

भौगोलिक परिस्थितियों, जोखिमों की अधिकता एवं जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखा जाय तो बिहार राज्य अति प्रवण क्षेत्र में आता है। राज्य के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंप जोन V तथा 24 जिले भूकंप जोन IV के अन्तर्गत आते हैं जो कि अधिक खतरों की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में आता है तथा 6 जिले जोन III में आते हैं। राज्य के दो जिले मधुबनी एवं सुपौल का पूरा क्षेत्र भूकंप जोन V में है। बाढ़ से राज्य का अधिकांश हिस्सा प्रत्येक वर्ष प्रभावित होता रहता है और मानसून के समय बाढ़ की संवेदनशीलता के दृष्टि से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण क्षेत्र तथा 13 जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं लेकिन वर्ष 2016 की बाढ़ में राज्य के 38 जिले में से 31 जिले बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। राज्य की दक्षिण का भूभाग सूखे के लिए जाना जाता है और या तो सूखे जैसी स्थिति प्रतिवर्ष बन जाती है। गर्मी के समय में अगलगी धीरे-धीरे भयानक रूप लेते जा रही है। सड़क दुर्घटना, वज्रपात, शीतलहर, लू एवं चकवाती तूफान से प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें हो रही हैं एवं राज्य को सर्वाधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी नाजुक परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें आपदाओं के प्रभाव को सहन करने की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी व्यस्कों की होती है। पिछली कुछ विनाशकारी घटनाओं पर नजर डालने से पता चलता है कि असुरक्षित निर्माण किये जाने के कारण, जानकारियों के अभाव के कारण, पहले से तैयारी न होने के कारण एवं आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी नहीं होने के कारण विद्यालयों एवं घरों में बच्चों की ही मौतें ज्यादा हुई हैं। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि बच्चे किसी भी योजना निर्माण का हिस्सा नहीं बनाये जाते चाहे वह घर की कोई योजना हो या विद्यालय तथा सामुदायिक स्तर की कोई योजना हो उनके साथ हमेशा लापरवाही ही होती रही है, उनकी आवाजों को गंभीरता से किसी भी मंच पर नहीं सुना जाता है और वे किसी भी निर्णय का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इस कारण उनकी क्षमता वृद्धि नहीं हो पाती है और वे बहुत सारी जानकारियों से दूर रहते हैं। बच्चों से संपर्क का एक सशक्त माध्यम विद्यालय है। चूँकि विद्यालय एक ऐसा

केन्द्र है जहाँ पर लगभग सभी बच्चों का आना होता है और वहाँ पर उनके विकास के सभी आयाम खुलते हैं उसे केन्द्र मानकर भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए विभिन्न नीतियाँ बनायी एवं विद्यालय सुरक्षा के लिए विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने का सुझाव भी दिया और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी संचालित किए। बिहार में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होनेवाले जिलों की कुल आबादी का लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे यानी लगभग आधी आबादी के बराबर लोग शामिल हैं।

भारत एवं बिहार के विद्यालयों में धटित कुछ हादसे

शिक्षा विभाग, बिहार के अनुसार राज्य में 80,000 से ज्यादा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आयी बाढ़ के दौरान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले के 7,480 विद्यालय प्रभावित हुए जिसमें क्रमशः 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इस राष्ट्रीय आपदा में लगभग 450 बच्चों की मृत्यु भी हुई थी। इसी प्रकार वर्ष 2013 में सारण जिले के प्राथमिक विद्यालय में मध्याहन् भोजन खाने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2015 में नेपाल में आये भूकंप से विभिन्न विद्यालयों के लगभग 3000 वर्ग कक्ष पूर्णतः ध्वस्त हो गये। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त वर्ष 2016 में गंगा में आयी बाढ़ के कारण 03 मध्य विद्यालय पानी के तेजधार में विलुप्त हो गये। उपरोक्त उल्लेखित आपदाओं के अलावे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई आपदायें आयी जिसमें विशेषकर विद्यालय के बच्चे एवं शिक्षकों की मृत्यु हुई। उदाहरणस्वरूप विभिन्न आपदाओं से हुए नुकसान की विवरणी निम्नरूपेण है –

1. वर्ष 1995 में मंडी दाववाली, जिला—सिरसा, हरियाणा में आगजनी से 400 लोगों (अधिकांशतः बच्चों) की मृत्यु हुई।
2. वर्ष 1988 में भूकंप से बिहार के दरभंगा जिले का एक मदरसा विद्यालय पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया।
3. वर्ष 2001 में गुजरात के अंजार शहर में आयी भूकंप के कारण 400 बच्चों की मृत्यु हुई।
4. वर्ष 2004 में आगजनी के कारण तमिलनाडु के कुंभाकोणम में 90 बच्चों की मृत्यु हुई।
5. वर्ष 2005 में केरल में नाव दुर्घटना से 15 बच्चों एवं 03 शिक्षकों की मृत्यु हुई।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य

“विद्यालय सुरक्षा के लिए आपदा पूर्व तैयारी हेतु बच्चों को केंद्र में रखकर रोकथाम की संस्कृति का विकास करना”

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की अवधारणा

बिहार भौगोलिक रूप से बहु-आपदा प्रवण प्रदेश है ऐसे में पढ़ाई के साथ के साथ सुरक्षित वातावरण खास कर संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक बिन्दुओं को ध्यान में रखकर, निर्माण करना जरूरी है क्योंकि बच्चों के लिए विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ वे सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं। आपदाओं के समय विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षण कार्य पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बच्चों का व्यक्तिगत, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास बाधित हो जाता है। इसके प्रकोप से बच्चों में निराशा, कुंठा एवं अभिघात से ग्रसित होने की संभावना काफी रहती है। इसी संदर्भ में अचानक आयी आपदाओं से बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कभी-कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आपदाओं के उपरांत बच्चे कई प्रकार के बिमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। आवश्यकता है कि आपदा से निपटने की तैयारी इतनी सक्षम हो की किसी भी परिस्थिति में चाहे बाढ़, भूकंप या अन्य कोई आपदा हो जान-माल का नुकसान नहीं होना चाहिए और शिक्षा भी निरंतरता जारी रहे।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों एवं बच्चों को सुरक्षित बनाने की नितांत आवश्यकता है। इस परिपेक्ष्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। बिहार राज्य में सरकार के स्तर से आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (वर्ष 2015–2030) विकसित किया है, जिसमें विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को प्रमुखता से समाहित किया गया है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 7 वीं बैठक (दिनांक 24. 05.2013) में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित करने का निर्णय लिया गया। इसी कारण इस कार्यक्रम का नामकरण “मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम” रखा गया है। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों एवं बच्चों को सुरक्षित किया जाये एवं विभिन्न आपदाओं से होनेवाली क्षति को कम करने के प्रति जागरूक किया जाये ताकि अगली पीढ़ी का बेहतर निर्माण किया जा सके।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य

- बच्चों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना
- बच्चों में नियमित अभ्यास से व्यवहार परिवर्तन करना
- बच्चों को विभिन्न प्रकार के आपदा के कुप्रभाव से बचाना
- बच्चों का कौशल विकास करना
- आपदा से होने वाली मौतों को कम करना
- आपदा से होनेवाले नुकसान को पूर्व तैयारियों के माध्यम से कम करना
- विद्यालयों को सुरक्षित बनाना
- आपदा से बचाव के तरीकों को समाज में फैलाना एवं एक आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करना

आपदा के बारे में सामान्य जानकारी

आपदा एक प्राकृतिक एवं मानव सृजित घटना है, जिसके कारण समाज का सामान्य जीवन अचानक बाधित हो जाता है तथा जान-माल की अत्यधिक क्षति होती है। हजारों लोगों की जान चली जाती है और लाखों लोग तबाह होते हैं। यह हमारे जीवन, आजीविका, घर-मकान, सामाजिक व्यवस्था तथा सबसे बढ़कर विकास को बुरी तरह प्रभावित करती है।

आपदा प्रबंधन से संबंधित शब्दावली

आपदा : आपदा प्राकृतिक या मानव सृजित कारणों से घटित घटना है, जो समाज के सामान्य जीवन को अचानक बाधित कर देती है तथा जान-माल की क्षति होती है।

जोखिम : जोखिम प्राकृतिक या मानवजनित खतरों एवं नाजुक स्थितियों के मिलने से संभावित हानिकारक परिणाम या संभावित क्षति (मौत, चोट, संपत्ति, आजीविका को नुकसान, आर्थिक कार्यकलापों में व्यवधान या पर्यावरण से क्षति) की संभाव्यता है।

खतरा : खतरा को नुकसान पहुंचाने वाली एक भौतिक घटना, परिघटना या मानवीय गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मौत या आघात, संपत्ति के नुकसान, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण को नुकसान का कारण बन सकता है।

क्षमता : जोखिम के स्तर या आपदा के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकने लायक समुदाय, समाज या संगठन के पास उपलब्ध सभी शक्तियों, क्षमता एवं संसाधनों के योग को क्षमता कहते हैं।

नाजुकता : नाजुकता शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न स्थिति का सम्मिलित रूप है, जो खतरों के प्रभाव के प्रति समुदाय की संवेदनशीलता को बढ़ाती है।

खतरा सिर्फ उसी हालत में आपदा बनता है, जब समुदाय की क्षमता इतनी कमजोर और नाजुक हो जाती है कि वह खतरों की प्रबलता का मुकाबला नहीं कर पाती। एक ही तरह का या समान प्रबलता का खतरा समुदाय पर उसकी नाजुकता स्थिति के हिसाब से अलग-अलग तरह का प्रभाव डालता है।

आपदाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है: -

प्राकृतिक आपदा	चक्रवाती तूफान/ औंधी, बाढ़, लू/ गर्म हवा, शीतलहर, सूखाड़, भूकंप
मानव जनित आपदा	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना, आगजनी, महामारी, भगदड़, जलवायु परिवर्तन

आपदा प्रबंधन का संगठनात्मक स्वरूप

- प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दशक (1990 का दशक) के पश्चात् पूरे विश्व की तरह भारत में भी आपदाओं के प्रबंधन की दिशा में अनेक कदम उठाये गये।

- वर्ष 2001 में सुखाड़ छोड़कर सभी आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को सौंप दी गयी।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत देश में त्रि-स्तरीय आपदा प्रबंधन की संरचना दी गयी—राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर।

Disaster Management Act-2005 Provides a three tier structure



- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं और सह-अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं।


बिहार का “आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030)“

- सेंडाई (जापान) में आयोजित तृतीय विश्व आपदा प्रबंधन कॉन्फ्रेंस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूरे विश्व का 15 वर्षों का एक रोडमैप विकसित किया गया।
- इसी के आधार पर पर बिहार सरकार ने भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 15 वर्षों का एक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया।
- एक वर्ष के प्रयास के बाद बिहार का आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) तैयार हुआ जिसमें समयबद्ध ढंग से सभी विभागों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कार्य निर्धारित किया गया है।

Process of Roadmap development



Disaster Risk Profile of Bihar : A, B, and C Districts



- आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) के क्रियान्वयन के पाँच प्रमुख स्तंभ हैं—
 - **Resilient Village**
 - **Resilient Livelihoods**
 - **Resilient Critical Infrastructure**
 - **Resilient Basic Services**
 - **Resilient Cities**
- इसके अंतर्गत निश्चित कार्ययोजना, उसके लिए उत्तरदायी विभाग या संस्था और समय निर्धारित किया गया है।



- आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) के अंतर्गत बिहार के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है—
 - बिहार में आपदाओं से होनेवाली मौतों को 2030 तक 75 प्रतिशत तक कम कर लिया जाएगा।
 - बिहार में सड़क, रेल या नाव दुर्घटना में होनेवाली मौतों को 2030 तक बहुत बड़ी संख्या में कम कर लिया जाएगा।
 - बिहार में आपदा से प्रभावित होने वालों की संख्या 2030 तक 50 प्रतिशत तक कम लिया जाएगा।
 - बिहार में आपदा से होने वाले नुकसान को 2010 जक 50 प्रतिशत तक कम कर लिया जाएगा।

आपदाओं से बचाव के तरीके

बाढ़

बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल से सटा बिहार का मैदानी इलाका कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, अधवारा समूह की नदियों का क्षेत्र है, जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गंगा नदी बिहार में बक्सर से कटिहार तक गुजरती है, जिसके किनारे बसे 12 जिले अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते हैं एवं सोन, पुनपुन तथा फल्नु नदियों में भी समय समय पर बाढ़ आती है। अन्य छोटी-छोटी नदियां भी बिहार को प्रभावित करती हैं।

बिहार में बाढ़

बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा, और अधवारा समैत कई नदियां बिहार के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती हैं। कोसी और गंडक समूह की नदियां नेपाल के ढाल वाली पहाड़ियों से निकलती हैं। यह बाढ़ के खतरे को बढ़ा देती है। उत्तर बिहार की 76 प्रतिशत आबादी बार-बार आने वाली बाढ़ की तबाही के खतरे में रहती है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा (94, 160 वर्ग किलोमीटर में से 68, 800 वर्ग किलोमीटर) बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है।

वर्ष	संबंधित नदियां/ प्रभावित इलाके	क्षति का परिमाण
1998	बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा एवं कोसी	मरने वाले लोगों की संख्या: 381 सार्वजनिक संपत्ति की क्षति: 9,284 लाख रुपए
1999	कमला बलान एवं कोसी नदी में उफान	फसल की बर्बादी: 24, 203.,88 लाख रुपए सार्वजनिक संपत्ति की क्षति: 5409.99 लाख रुपए
2000	कमला बलान, भूतही बलान, एवं पूर्वी कोसी का प्रवाह (एफलक्स) बांध	प्रभावित गांव : 12,351 फसल की बर्बादी : 8,303.70 लाख रुपए
2001	पश्चिमी कोसी, भूतही बलान, एवं बूढ़ी गंडक	फसल की बर्बादी : 26,721.79 लाख रुपए सार्वजनिक संपत्ति की क्षति: 18353.78 लाख रुपए
2002	कमला बलान एवं खिरोई	मरने वाले लोगों की संख्या: 489 फसल की बर्बादी : 51,149.61 लाख रुपए सार्वजनिक संपत्ति की क्षति: 40,892.19 लाख रुपए
2004	बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान एवं भूतही बलान तथा अधवारा	2004 में बाढ़ के मौसम में 53 दरार हुई मरने वाले लोगों की संख्या: 885 फसल की बर्बादी : 52,205.64 लाख रुपए सार्वजनिक संपत्ति की क्षति: 103,049.64 लाख रुपए
2007	प्रायः सभी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा खासकर बूढ़ी गंडक एवं बागमती नदी के कारण प्रभावित हुआ	विभिन्न जगहों पर तटबंध में 28 दरार
2008	नेपाल के कुश गांव के निकट 18 अगस्त, 2008 को पूर्वी कोसी प्रवाह (एफलक्स) तटबंध में दरार बिहार के संपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, कटिहार एवं पूणिया जिले प्रभावित	कोसी की धारा बदल गई जिसके कारण बहुत अधिक लोग खतरे में पड़ गए मरने वाले लोगों की संख्या: 530 प्रभावित लोगों की संख्या : 3,000,000 प्रभावित गांव : 998
स्रोत— आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार		

बाढ़ सुरक्षा के लिये क्या करें ? क्या न करें?

- अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंट आदि से बनवाएं। बाढ़ से मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं।
- घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।
- आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटा रेडियो, टॉच, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि हों।
- पालीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग आदि रखें जिसमें कपड़े, महंगे सामान, छाता, चीनी, नमक, और लकड़ी (सांप वगैरह भगाने के लिए)
- मजबूत रस्सी एवं एक लम्बी लकड़ी अपने पास हमेशा रखें।
- चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुनें या टी वी देखें और स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान रखें।
- अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएँ।
- बाढ़ से पहले बैलगाड़ी, कृषि उपयुक्त समान और पालतू जानवरों को उँची सुरक्षित जगह पर ले जाएं।
- बाढ़ के दौरान खाना ढक कर रखें। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी पिएं।
- चाय, चावल का पानी, नारियल पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और ORS व अन्य उपचार के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को संपर्क करें।
- बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने में मदद करें।
- सबसे पहले गर्म कपड़े, जरूरी दवाएँ, कीमती वस्तुएं, निजी कागज आदि को वॉटर प्रूफ बैग में डाल कर उन्हें आपातकालीन बाक्स में अपने साथ रख लें।
- अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।

- ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।
- नल के पानी को उबालकर तब तक पिएं जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजेन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी गई हों।
- सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।
- बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने से रोकें।

भूकंप

बिहार में भूकंप का जोखिम

बिहार औसत से लेकर उच्च भूकंपीय खतरा वाले जोन III, IV और V में पड़ता है। अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जैसे जिले जोन V में हैं और सबसे अधिक खतरा का सामना करते हैं। दक्षिण –पश्चिमी जिले औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमुर, नवादा और रोहतास जोन III में हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के बाकी सारे जिले जोन IV में हैं।

भूकंप का प्रभाव

भूकंप में सबसे अधिक लोगों की मौत घरों के ध्वस्त होने से होती है। लोग मकानों प्लास्टर गिरने एवं दूसरे भारी सामानों से घायल होते हैं। अस्पताल, अग्निशमन स्टेशनों, बिजली एवं जल आपूर्ति जैसी आपात सेवाएं बाधित होने से अक्सर आग लगने की घटनाएं एवं बीमारियाँ बढ़ती हैं। भूकंप अक्सर भू-स्खलन पैदा करता है जिसके कारण बांध टूट सकते हैं और आकस्मिक बाढ़ आ सकती है। भूकंप से होने वाली बड़े पैमाने की क्षति को ऐसे आपदाओं से निपटने की बुनियादी जानकारियों से कम किया जा सकता है।

गैर–संरचनात्मक जोखिम

किसी भी भूकंप के दौरान होने वाली बहुत सारी जन–धन की क्षति घरों के दरवाजों, खिड़की, आलमारी, कैबिनेट एवं टेलीविजन जैसे गैर–संरचनात्मक सामानों के कारण होती है, जबकि ऐसी क्षति से बहुत हद तक बचा जा सकता है। इस प्रकार के सामान रास्तों में रखे रहते हैं जिनके कारण निकास द्वारा बन्द हो जाते हैं जिसके कारण अक्सर स्कूलों में बच्चे फंस जाते हैं। राहत एवं बचाव कार्य भी इसके कारण बाधित होता है।

भूकंप सुरक्षा के लिये क्या करें ? क्या न करें ?

भूकंप से बचाव की तैयारी

भूकंप अचानक, तीव्र गति से बिना किसी चेतावनी के आता है। संभावित खतरे की पहले से पहचान करने एवं इसके लिए उपाय करने की योजना बनाना, गंभीर रूप से घायल होने और मौत के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकता है।

- विद्यालय भवन निर्माण के दौरान स्थानीय भूकंपीय भवन मानक का अनुपालन करें।
- छत एवं नींव में प्लास्टर के गहरे दरारों को ठीक करें।
- बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाजा लगाएं।
- ऊपर से 'गिरने' वाले खतरों से सचेत रहें।
- बिजली के स्थिर सामानों को यथासंभव ऊपर में रख दें, बड़े एवं वजनी सामानों को नीचे की आलमारी में रखें, एवं टूटने वाले सामानों को नीचे रखें, कैबिनेट को चिटकनी लगाकर बंद कर दें। तस्वीर या सीसा जैसे वजनी सामानों को जहाँ पर बच्चों के क्लास चलते हैं अथवा शिक्षक बैठते हैं उन स्थानों से दूर टॉगें।
- भूकंप के दौरान इंतजार करने के लिए घर / विद्यालय के अंदर और बाहर, दोनों जगह सुरक्षित स्थानों की पहचान करें।
- फ्लैशलाइट, बैटरी संचालित रेडियो, अतिरिक्त बैटरी, दवा, खराब न होने वाला भोजन तथा पानी एवं महत्वपूर्ण कागजातों समेत एक इमरजेंसी किट अपने पास रखें।



Disclaimer: This map was collated based on the data/information compiled by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation. UNEP has not verified the accuracy of information of the Map Source (WBIFC, India)

- आपात संवाद की योजना बनाएं तथा भूकंप के दौरान विद्यालय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से बिछुड़ जाने की स्थिति में मिलने के लिए कोई जगह तय करें।

भूकंप के दौरान

- भूकंप कोई पूर्व संकेत नहीं देता है। कभी—कभी कुछ सेंकेड आपको किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचने की मोहलत देते हैं। इस समय विद्यालय की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बन्द कर दिया जाये।
- शिक्षक छात्रों अथवा छात्राओं का घबराने नहीं दें। उन्हें विद्यालय भवन से निकालने में सहयोग करें।
- बाहर निकल कर ऐसे सुरक्षित खुले जगह पर जाये जहाँ पर पेड़, बिजली के पोल, मोबाईल टावर इत्यादि न हो।
- अपनी आवाजाही को कुछ कदम दूर नजदीक के सुरक्षित स्थान तक सीमित रखें। अगर आप विद्यालय / घर के अंदर हैं तो जबतक कंपन बंद नहीं हो जाता और आप आश्वस्त नहीं हो जाते कि बाहर निकलना सुरक्षित है तब तक घर के अंदर ही रहें।

विद्यालय अथवा घर के अंदर हैं तो :

- फर्श की ओर झुक जाएं, किसी मजबूत टेबल या कोई और फर्नीचर के नीचे छुप जाएं और जब तक कंपन बंद ना हो जाए उसे पकड़ कर वहीं बने रहें। अगर आपके आसपास टेबल या डेस्क नहीं हो तो अपने चेहरे और सिर को अपनी बांहों से ढंक लें और कमरे के अंदर किसी कोने में दुबक कर बैठ जाएं।
- शीशों की खिड़की, बाहर के दरवाजे, और दीवार या बिजली से जुड़े उपकरणों या फर्नीचर जैसे सामानों, जिसे गिरने का डर हो, उससे दूर रहें।
- अगर दरवाजे का चौखट आपके नजदीक हो और आप उसकी मजबूती को लेकर आश्वस्त हों, तो चौखट के पास शरण लें।
- जबतक कंपन बंद नहीं हो जाता और बाहर निकलना सुरक्षित नहीं हो जाता, तबतक अंदर ही रहें। शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोग घर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने या घर से बाहर निकलने की कोशिश में घायल होते हैं। इलिवेटर (बिजली से चालित सीढ़ी) अथवा लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें।
- यदि कम्पूटर रूम अथवा लैब में है तो तुरन्त बिजली का मेन स्वीच बन्द कर बाहर चले जाये।

अगर बाहर हैं तो :

- जहाँ हैं, वहीं बने रहें। मकानों, स्ट्रीटलाइट या बिजली के तार से दूर चले जाएं।
- अगर चलते हुये वाहन में हैं तो, यथासंभव जल्द से जल्द रुक जाएं एवं वाहन में बैठे रहें। किसी मकान, पेड़, रास्ता पार करने वाली जगह या बिजली के तार के नजदीक या उसके नीचे रुकने से बचें।

अगर मलबे में दब गए हैं तो :

- माचिस नहीं जलाएं।
- धूल के पास नहीं जाएं या उसे फेंके नहीं। अपना मुँह रुमाल या किसी कपड़े से ढंक लें।
- किसी पाइप या दीवार को थपथपाएं ताकि बचावकर्ता आपको खोज सकें। अगर बिगुल उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल करें। सिर्फ अंतिम हथियार के रूप में चिल्लाएं, क्योंकि इससे सांस के जरिए धूल का खतरनाक मात्रा आपके शरीर के अंदर जा सकता है।

भूकंप के बाद

- पश्चातवर्ती आघात (झटकों) की उम्मीद करें। ये मूल भूकंप से कम भयावह होते हैं लेकिन कमजोर हो चुके संरचनाओं को आसानी से अतिरिक्त नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये भूकंप के घंटा भर बाद, एक दिन, हफ्ता या महीनों बाद आ सकते हैं।
- अद्यतन आपात सूचनाओं के लिए बैटरी चालित रेडियो या टीवी सुनें।

- कैबिनेटों (आलमारियों) को सावधानीपूर्वक खोलें। आलमारी से गिर सकने वाले सामानों के प्रति सचेत रहें।
- क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहें, बशर्ते आपसे विशेष सहायता का अनुरोध नहीं किया गया हो। घर/विद्यालय में उसी हाल में ही लौटें जब अधिकारी ऐसा करना सुरक्षित बता दिए हों।

शीतलहर

राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतया दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीत लहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतया यदि तापमान 7 डिग्री से 0 से कम हो जाय तो इसे शीत लहर की स्थिति माना जाता है। शीत लहर से मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

शीत लहर या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं :—

- शरीर का ठंडा होना एवं इसके अंगों का सुन्न पड़ना।
- अत्यधिक कंपकपी या ठिठुरन।
- बार-बार जी मिचलाना या उल्टी का होना।
- अर्द्धबेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना।

शीत लहर या ठंड से बचाव के उपाय :—

- अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ और यथासम्भव घर के अंदर सुरक्षित रहें (विशेषकर वृद्ध एवं बच्चे)।
- यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहन कर ही निकलें। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें।
- समाचार पत्र/रेडियो/टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें।
- शरीर में उष्णा के प्रवाह को बनाये रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।
- बन्द कमरों में जलती हुई लालटेन, दीया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएँ के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें।
- हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना न भूलें अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है।
- राज्य सरकार शीत लहर के समय रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करती है, जिसका लाभ उठाकर शीत लहर से बचा जा सकता है।
- राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए रैन-बसेरों का प्रबंध किया जाता है, जहाँ कंबल/बिस्तर आदि उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं का प्रयोग करें।
- उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें तथा सामान्यतया धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें।
- विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल से अविलम्ब चिकित्सा परामर्श लें। एम्बुलेन्स की सहायता लेने हेतु दूरभाष संख्या –102 या 108 पर सम्पर्क करें।
- पशुओं के बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को ठंड लगने पर पशु अस्पताल/पशु चिकित्सक की सलाह लें।

चक्रवाती तूफान

गर्मी के मौसम में कमोबेश राज्य के सभी जिलों में चक्रवाती तूफान आते हैं। राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में वर्ष 2010 एवं 2015 में चक्रवाती तूफान के कारण जन-जीवन कुप्रभावित हुआ था। चक्रवाती तूफान के कारण जन-धन की भारी क्षति हुई थी। चक्रवाती तूफान के अलावा गर्मी के मौसम में राज्य के कमोबेश सभी जिलों में आंधी की घटनाओं के चलते जन-धन की क्षति होती है।

चक्रवाती तूफान/आंधी से बचने के उपाय :—

- जब तक आंधी तूफान शांत न हो जाय, तब तक बाहर न निकलें।
- आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें।

- पेड़ों के नीचे न रहें।
- बाहर निकलने के पहले आश्वस्त हो लें कि आंधी—तूफान थम गया है।
- रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।
- पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नजदीक आश्रय लेने से बचें।
- बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है।
- घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें।

अगलगी / लू

गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा तेजी से चलती है तो हमारे गांवों में अगलगी की घटनाएं बढ़े पैमाने पर होती हैं। हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान—माल को अगलगी से भारी क्षति पहुंचती है। इसके अलावा गर्मी के महीनों में लू भी चलती है। लू से मौत भी हो सकती है।

अगलगी से बचाव हेतु उपाय :

- रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवाल पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें।
- रसोई घर की छत ऊँची रखी जाये।
- आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें।
- घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेण्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
- जहाँ पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखा जाये। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाये।
- जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर—उधर ना फेंकें।
- दीपावली में पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
- खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें, हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
- जहाँ तक संभव हो खाना शाम ढलने से पहले बना लें।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ खेसारी, छिमी भी बच्चे लाकर भूनते हैं। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- फायर बिग्रेड (101 नम्बर) एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हें सहयोग करें।
- अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें जमीन पर लेटकर बुझाने का प्रयास करें।

लू से बचने के उपाय :-

- लू का लक्षण तेज बुखार एवं लगातार उल्टी का होना होता है।
- बच्चे लू में घर से बाहर न निकलें।
- यदि घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो भरपेट पानी पीकर निकलें।
- तौलिया/गमछा भिगो कर सिर पर रखें और चेहरा पोछकर चलें।
- चेहरा ढंक कर एवं पूरे कपड़े पहन कर ही घर से चलें।

लू लगने पर क्या करें :-

- लू लगने पर आम का पन्ना पियें।
- पीड़ित को तुरंत अस्पताल में भर्ती करायें तथा चिकित्सक की सलाह लें।

ठनका / वज्रपात

बरसात के दिनों में प्रायः आसमान में बिजली कड़कती/चमकती है तथा आसमानी बिजली गिरने से आमजन प्रभावित होते हैं। इससे बचने हेतु निम्न सुझाव पर अमल करना चाहिए।

आमजनों को वज्रपात (ठनका) से बचाव के उपाय :

- पक्के मकान में ही आश्रय लें।
- सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- ऐसी वस्तुएँ जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
- बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें, टेलीफोन/मोबाइल का उपयोग न करें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें।
- ऊँचे वृक्ष आसमानी बिजली को आकर्षित करते हैं, कृपया उनके नीचे न खड़े रहें।
- ऊँची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न ले।
- समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग—अलग खड़े रहें।
- बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाईंक, बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें।
- आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर जरूरत के अनुसार व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सुखाड़

वर्षा ऋतु में लम्बे समय तक अल्प वर्षापात एवं जल चक्र के असंतुलन के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सुखाड़ की स्थिति में जल की उपलब्धता में कमी फसलों को नुकसान पहुँचाती है जिसके कारण कालान्तर में अनाज की पैदावार में कमी हो जाती है। सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति में ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई छोड़कर अपने माता—पिता को जीवन यापन में मदद करने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। सुखाड़ एक मंद गति से आने वाली आपदा है, जिसका असर लम्बे समय तक देखने में आता है। सुखाड़ का सर्वाधिक कुप्रभाव कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों जैसे पशुधन आदि पर पड़ता है।

सुखाड़ की स्थिति की रोकथाम हेतु क्या करें :

- खेतों में मेड एवं चेक डैम बनाकर वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई की जा सकती है।
- वर्षा जल की गुणवत्ता पीने योग्य सबसे उत्तम है। इसलिए विभिन्न उपाय कर वर्षा जल का संचयन करें।
- स्थानीय कृषि विकास केन्द्र से संपर्क कर आकस्मिक फसल योजना की जानकारी प्राप्त करें।
- फसलों की बुआई के पूर्व फसल बीमा करा लें।

सुखाड़ होने पर :

- पेय जल के लिए पुराने चापाकलों की मरम्मति सुनिश्चित करें और वर्षा जल संचयन करें।
- पशुओं के लिए पर्याप्त चारा का प्रबंधन करें एवं पशु चिकित्सालय से निरंतर पशुओं की जाँच करें।
- फसल की बुआई हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें।
- जल को बर्बाद होने से बचायें। यदि आवश्यकता हो तो उसका उपयोग फसलों/फलों/सब्जियों की सिंचाई हेतु करें।

सुखाड़ की स्थिति में क्या न करें :

- कृषि कार्य एवं पीने के लिए संचित जल को बेकार न बहने दें और उसे दूषित न करें।
- दूषित पेय जल का उपयोग पीने हेतु नहीं करें।
- पशुओं को खुले धूप में ज्यादा देर तक न छोड़ें।
- कम सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलों की बुआई करें।

नदी/तालाब में डूबना

वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों / तालाबों में स्नान करने, कपड़ा एवं बर्तन धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर / किशोरियों की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। यह स्थिति संबन्धित परिवारों के लिए त्रासद है। इन बहुमूल्य जिंदगियों को बचाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें –

- खतरनाक घाटों के किनारे न जाएँ और न ही बच्चों को जाने दें।
- बच्चों को नदी / तालाबों / तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।
- बच्चों को पुल / पुलिया / ऊंचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें।
- नदी में उत्तरते समय गहराई का ध्यान रखें।
- यदि तैरना जानते हों तभी नदियों / तालाबों / घाटों के किनारे जाएँ।
- डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से बचाएं तथा तैरना नहीं जानते हों तो स्वयं पानी में न जाएँ और सहायता के लिए शोर मचाएँ।
- गाँव / टोले में डूबने की घटना होने पर आस-पास के लोग आपस में एकत्रित होकर ऐसी दुखद घटना की चर्चा अवश्य करें, और भविष्य के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

डूबे हुये व्यक्ति को पानी से निकाल कर तत्काल प्राथमिक उपचार निम्न प्रकार करें :

- सबसे पहले देख लें कि डूबे हुये व्यक्ति के मुँह व नाक में कुछ फंसा हो तो निकाल दें।
- नाक व मुँह पर उँगलियों के स्पर्श से जांच कर लें कि डूबे हुये व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं।
- नब्ज की जांच करने के लिए गले में किनारे के हिस्सों में उँगलियों से छू कर जानकारी प्राप्त करें कि नस चल रही है कि नहीं।
- नब्ज व सांस का नहीं पता चलने पर डूबे व्यक्ति के मुँह से मुँह लगाकर दो बार भरपूर सांस दें व 30 बार छाती के बीच में दबाव दें तथा इस विधि 3–4 बार दुहराएँ। ऐसा करने से धड़कन वापस आ सकती है व सांस चलना शुरू हो सकती है।
- यदि डूबा हुआ व्यक्ति खाँस बोल सांस ले सकने की स्थिति में है तो उसे ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करें।
- यदि डूबे हुये व्यक्ति का पेट यदि फूला हुआ है तो पूरी संभावना है कि उसने पानी पी लिया होगा, अतः पेट से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करें।
- उपरोक्त प्रक्रिया के बाद बचाए गए व्यक्ति को नजदीकी डॉक्टर अथवा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाएँ।
- डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें या 108/102 पर फोन कर एम्बुलेन्स बुला लें।

भगदड़

बिहार में दशहरा, दुर्गापूजा, छठ के अवसर पर बहुत भीड़ होती है जिसमें भगदड़ हो सकती है। जिसमें ज्यादातर मरने वाले बच्चे एवं महिलाएं होते हैं। अतः इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।

भीड़-भाड़ वाले स्थानों में ध्यान रखें ये सुझाव :

- भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे धार्मिक पूजा स्थल, मेले, उत्सवों आदि में सावधान रहें व अनुशासित तरीके से चलें।

- बेवजह शोर न मचायें, अफवाहें न फैलायें और साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें।
- यदि संभव हो तो बच्चों, बुजुर्गों व विकलांगों को अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न ले जाएं।
- जल्दबाजी न करें। यदि आगे चलता कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी सहायता करें।

भगदड़ की स्थिति में ध्यान रखें ये सुझाव :

- भगदड़ मचने की स्थिति में संयम व धैर्य बनाए रखें व यदि संभव हो तो भगदड़ वाले मार्ग से हट जाएँ।
- स्थिति सामान्य होने पर घायल व्यक्तियों को रास्ते से उठाकर पास के सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनकी सहायता करें।
- घायलों के इर्द गिर्द भीड़ न इकट्ठी होने दें व हवा आने दें, क्योंकि भगदड़ में अधिकतर लोग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं।
- पुलिस व राहत कर्मियों को उनके कार्य में सहयोग करें।

नाव दुर्घटना

वर्षा ऋतु में उफनायी नदियों में नाव डूबने की दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियां चली जाती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है, अगर हम नाव दुर्घटना से बचने के उपाय कर लें।

नाव दुर्घटना से बचने के उपाय :

नाव की सवारी करने वालों के लिए उपाय :-

- जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
- किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
- नाव चलने के पहले देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाला सफेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरंत उत्तर जायें।
- जब बारिश हो रही तो नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकता है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उत्तरते-चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकता है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के उपर किसी तरह का दवाब न डालें।

नाविक एवं नाव मालिकों के लिए उपाय :-

- जब तेज हवा/खराब मौसम/ऑधी/बारिश हो रही हो तो नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों की सवारी बैठती हो तो उस नाव पर दो नाविक होना अनिवार्य है तथा 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविक का होना अनिवार्य है।
- बीमार व्यक्तियों/गर्भवती स्त्री को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव में जानवर ढोया जा रहा हो तो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी न बैठाएँ।

- किसी भी तरह की नाव, चाहे उस पर सवारी ढोयी जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, सॉप आदि नहीं ढोया जाएगा, जिस से अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ करें।
- मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें।

रेल और सड़क दुर्घटना

बिहार में रेल और सड़क दुर्घटनाएं काफी भारी संख्या में होती हैं। नई—नई सड़कों के निर्माण से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते। रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। आम तौर पर रेल दुर्घटनाएं ट्रेन के पटरी से उत्तरने पर होती हैं। कई बार टक्कर भी होती है।

रेल सुरक्षा के उपाय —

- रेल विभाग द्वारा स्टेशनों पर या रेलगाड़ी में दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करें।
- रेल फाटक पार करते समय रेलवे लाइन के दोनों ओर देखें।
- रेल की पटरी पर न चलें, न ही रेल लाइन के आसपास शौच करें।
- रेल फाटक या रेल लाइन के आसपास कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- ट्रेन में डिब्बों के बीच में या डिब्बों के ऊपर बैठकर यात्रा न करें।
- ट्रेन के दरवाजों से न लटकें।
- किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तुरंत निकटतम रेलवे स्टेशन या जिला प्रशासन को सूचना दें।
- ट्रेन में किसी प्रकार का ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ ले कर यात्रा न करें।
- ट्रेन में किसी अपरिचित द्वारा दिया गया कोई खाद्य पदार्थ का सेवन न करें।
- ट्रेन यात्रा करते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखें।

सड़क सुरक्षा के उपाय —

- सड़क पार करते समय हमेशा दायें और बायें देख कर पार करें।
- सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें।
- वाहन हमेशा सड़क के बायें ओर और निर्धारित गति सीमा में चलायें।
- दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- कार या अन्य चार पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें।
- नशे की हालत में गाड़ी न चलायें।
- ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें।
- दायें या बायें मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय, गाड़ी धीमे करते समय संकेतक (Indicator) अवश्य दें।
- किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालाय में ले जायें।
- वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- दरवाजा खोलते समय सावधानी बरतें।
- सड़क के बायें चलें एवं सभी सड़क चिन्हों का अनुपालन करें।

जलवायु परिवर्तन

- एक स्थान की एक निश्चित समयावधि में उपस्थित मौसम की स्थिति का औसत जलवायु है।
- जलवायु को निर्धारित करने के लिए वर्षा, तापमान, हवा का दबाव, आर्द्रता व हवा की गति महत्वपूर्ण तत्व हैं।
- किसी स्थान का मौसम ही अंतः उस स्थान या क्षेत्र की जलवायु का निर्माण करता है।
- लम्बे समय तक चलने वाला मौसम ही जलवायु का रूप ले लेता है। इसमें परिवर्तन धीमी गति से होता है जो एक लम्बे समय के बाद महसूस किया जाता है।
- विश्व स्तर पर किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु के निर्धारण के लिए कम से कम 30 वर्षों या उससे अधिक के वायुमण्डलीय कारकों के आंकड़ों का औसत लिया जाता है।
- जलवायु हमारे भौतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
- सभी प्रकार की मानवीय क्रियाओं पर किसी न किसी प्रकार से जलवायु को प्रभाव होते हैं।
- मानव भी अपने क्रिया—कलापों से जलवायु को प्रभावित करता है।
- जलवायु, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भू—दृश्यों के उद्भव, विकास व समाप्ति के लिए उत्तरदायी होने के साथ—साथ जलवायुविक दशाओं के परिवर्तन के भी कारक है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जानने से पहले यह समझना आवश्यक होगा कि यह परिवर्तन कैसे हो रहा है? प्राकृतिक कारणों की वजह से पहले भी जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी थी, पर जिस तेजी से पिछली शताब्दी में जलवायु में परिवर्तन दिखा है, उससे यह सिद्ध हो चुका है कि जलवायु परिवर्तन की गति में वृद्धि के पीछे मानव जनित कारण अधिक हैं। मानव जनित क्रिया—कलापों में जहां एक तरफ उद्योगों, ऊर्जा उत्पादन व वाहन संचालन के लिए जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या की आवास एवं कृषिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का व्यापक कटान भी हुआ है। इस प्रकार मानवीय क्रिया—कलापों ने एक तरफ तो वायुमण्डल में गैसों का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन किया, वहीं दूसरी तरफ इन गैसों को अवशोषित करने वाले संसाधनों को भी कम किया। नतीजतन वातावरण में पहले से ही मौजूद गैसों का एक घना आवरण बन गया, जिसके कारण सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक तो आती है, परन्तु पृथ्वी की उष्णा बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान दिनों—दिन बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप धरती पर जलवायु में विभिन्न तरह के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। वातावरण में पायी जाने वाली इन गैसों को ही ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानते हैं। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि हमारा वातावरण कई तरह की गैसों से मिलकर बना है।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही आपदाओं के कारण विद्यालयों की संवेदनशीलता को निम्न रूपेण देखा जा सकता है —

- बाढ़ जैसी आपदा के दौरान नीची भूमि पर बने विद्यालय ज्यादा नाजुक श्रेणी में आते हैं।
- अगर विद्यालय तक पहुँचने के रास्तों का अभाव है अथवा कच्चा रास्ता है, तो ऐसे विद्यालय भी बाढ़ जैसी आपदा के दौरान नाजुक होते हैं।
- बिना चहारदीवारी वाले विद्यालय को नाजुक श्रेणी में चिन्हित करते हैं।
- यदि विद्यालय किसी नदी, तालाब अथवा मुख्य सड़क इत्यादि के किनारे स्थित है तो वह भी नाजुक स्थिति में है।
- मानकों के अनुसार विद्यालय भवन न होने के कारण (आपदा के दौरान) उनकी नाजुकता बढ़ जाती है।
- विद्यालय भवनों की समय से देख—रेख, मरम्मत आदि सुनिश्चित न होने से विद्यालय की नाजुकता बढ़ जाती है।
- अगर विद्यालय का संचालन टीन शेड अथवा खपरैल अथवा फूस के मकान में हो रहा है तो ऐसे विद्यालय आग, आँधी—तूफान इत्यादि आपदा के लिये नाजुक होंगे।



भौतिक प्रभाव

- बाढ़, अगलगी आदि के कारण विद्यालय भवन या तो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अथवा पूरी तरह ढह जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बार बच्चे व अध्यापक घायल भी हो जाते हैं।

- विद्यालय के अन्दर जाने वाले रास्तों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे बहुत बार छोटे बच्चे विद्यालय के अन्दर नहीं जा पाते या फिसल कर गिर जाते हैं।
- बच्चों के बैठने वाली बेंच एवं दरियां खराब हो कर नष्ट हो जाती हैं।
- सुखाड़ या अत्यधिक गर्मी पड़ने की दशा में विद्यालय का नल सूख जाने से बच्चों को पेयजल की कठिनाई होती है।
- बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में वहां का विद्यालय भवन समुदाय के लिए मुख्य शरणालय के तौर पर होता है। ऐसी दशा में अगर विद्यालय भवन ही क्षतिग्रस्त हो जाये या बाढ़ के प्रभाव क्षेत्र में आ जाये तो समुदाय के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है।

शैक्षणिक प्रभाव

- आपदा के दौरान विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है।
- आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अत्यधिक नाजुक विद्यालयों पर से लोगों का विश्वास कम हो जाता है और उन विद्यालय में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते।
- बाढ़, अगलगी आदि आपदाओं के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ता है कि विद्यालयों से शैक्षणिक दस्तावेज जैसे— बच्चों से संबंधित विवरण, उपस्थिति पंजिका, मिड डे मील पंजिका आदि या तो बाढ़ में बह जाते हैं, गल जाते हैं या अगलगी में जल जाते हैं।



जलवायु परिवर्तन के सम्भाव्य प्रभावों के कम करने के उपाय

- उन्मूलन, परिणामों में कमी, उनकी तीव्रता में कमी अथवा जोखिमों को कम से कम करने की प्रक्रिया को शमन कहते हैं।
- आपदाओं के प्रभाव से जीवन व सम्पत्ति के नुकसान को कम करने का प्रयास है।
- इसे प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय जोखिमों की अच्छी समझ होना आवश्यक है।
- इस क्रिया के न होने से हमारी भौतिक, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता जोखिम में पड़ सकती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ने वाली आपदाओं के प्रभावों को कम करने हेतु निम्न उपाय हो सकते हैं—

- पुराने भवनों की आपदारोधी रेट्रोफिटिंग कराना।
- नये बनने वाले भवनों को आपदारोधी बनाना।
- नये विद्यालय बनाने हेतु ऊँचे स्थानों का चयन करना।
- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय में स्थित जलस्रोतों (टेप या हैण्डपम्पों) का उच्चीकरण करना।
- विद्यालयों में वर्षा जल—संग्रहण की व्यवस्था करना।
- विद्यालय तक जाने वाले रास्तों का उच्चीकरण करना।
- विद्यालय के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाना।
- सभी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना एवं विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन अनिवार्य रूप से करना।
- पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदित करने की दृष्टि से विविध प्रकार की गतिविधियां छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में जागरूक करना।
- बच्चों के बीच आपदा के सन्दर्भ में जागरूकता प्रसार हेतु कार्य योजना बनाना व समय—समय पर पोस्टर प्रदर्शनी, पैटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।

- बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- भीषण गर्मी की दशा में विद्यालयों का संचालन सुबह की पाली में सुनिश्चित करना।
- अधिक गर्मी पड़ने की दशा में विद्यालय की छुटियों से पहले छुटियां कर देना।
- विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सर्पदंश

- भय एवं चिन्ता न करे—सभी साँप जहरीले नहीं होते।
- सभी जहरीले साँपों के पास हर समय पूरा जहर नहीं होता अगर पूरा जहर हो तो भी वो इसका सर्पजींस लिथल डोज हमेशा प्रवेश नहीं करा पाते हैं।
- साँप के काटने के उपरान्त काटने के निशान की जांच करें।
- (नोट—विषहीन साँप के काटने से भी घाव के आसपास सुजन और खुजलाहट होती है)
- साँप के विषय के अनुसार (इंजेक्शन) लगवाया जाय।
- जांच करें कि जहरीले या विषहीन साँप ने काटा है।

क्या करें ?

- काटे गये जगह को साबून पानी से धोए।
- दांत के निसान की जांच करें कहीं जहरीले सर्प के काटने का दो दंतक का निशान तो नहीं है।
- काटे हुए अंग को हृदय के लेवल से नीचे रखें।
- सर्प—दंश वाले अंग को immobilise (फिक्स) करें।
- बैंडेज (Bandage) द्वारा घाव पर और उसके ऊपर लगायें।
- घायल व्यक्ति को सांत्वना दें, घबराहट से हृदयगति तेज चलने से रक्त संरचना तेज हो जाएगा और जहर सारे शरीर में जल्द फैल जायेगा।
- तुरंत बड़े अस्पताल ले जाएँ
- यदि जहरीले सर्प ने काटा है तो anti venom का इंजेक्शन डॉक्टर से लगवाएं।

क्या न करें ¹⁴

- बर्फ अथवा अन्य गर्म पदार्थ का इस्तेमाल काटे गये स्थान पर न करें।
- Untrained व्यक्ति Turnikate टुर्निकेट न बाँधे। इससे संबंधित अंग में रक्त प्रवाह पूरी तरह रुक सकता है एवं संबंधित अंग की क्षति हो सकती है।
- काटे गये स्थल पर चीरा न लगाए। यह आगे नुकसान पहुँचाता है।
- घायल को चलने से रोकें।
- शराब / नींद आने की कोई दवा नहीं दें।
- मुँह से कटे हुए स्थान को न चुसें।
- मंत्र या तांत्रिक के झांसें में न आयें।

15

आपदा पूर्व तैयारी एवं क्षमता विकास – मॉकड्रिल

विद्यालय में किसी तरह की आपात स्थिति आने पर सबसे पहले छात्र और शिक्षक हरकत में आते हैं। विद्यालय में बाहरी मदद पहुँचने में समय लग सकता है। ऐसे में इन आपदा की स्थितियों के दौरान, की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में छात्रों एवं शिक्षकों के पास आवश्यक कौशल एवं जानकारी का होना जरूरी है। ऐसे समय पर किए गए इस तरह के हस्तक्षेप से क्षति एवं मरने वालों की संख्या कम की जा सकती है।

खोज एवं तत्काल बचाव

खोज एवं तत्काल बचाव की प्रक्रिया आपदा पीड़ितों, जो मलबे में दबे हो सकते हैं या अकेले पड़ गए हो सकते हैं, को तलाशने एवं उन्हें सुरक्षित जगह पर ले आने की प्रक्रिया है। बाढ़ की कहर के बाद तलाशी एवं बचाव में आम तौर पर बढ़ रहे पानी में फंसे हुए बाढ़ पीड़ितों को तलाशने एवं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आने या जब तक उन्हें वहां से निकाल नहीं लिया जाता या वे अपने घर नहीं चले जाते, तब तक उन्हें भोजन एवं फर्स्ट एड उपलब्ध कराना शामिल है। भू—स्खलन एवं भूकंप की स्थिति में बचाव एवं राहत में ध्वस्त मकानों या मलबे में फंसे या घायल लोगों पर ध्यान दिया जाता है।

बचाव के तरीके

एक बचावकर्ता द्वारा घायल व्यक्ति को उठाने की विधि

बचावकर्ता की संख्या : एक

उपयोगः मुख्यतः बेहोश या घायल व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।



सीढ़ी से खींचने की विधि

बचावकर्ता की संख्या : एक

उपयोगः जब पीड़ित को सीढ़ी से खींचने की जरूरत हो और पीड़ित का वजन बचावकर्ता के वजन से ज्यादा हो, तो इस विधि का इस्तेमाल होता है।



दो हाथों पर बैठाने वाली विधि

बचावकर्ता की संख्या : दो

उपयोगः जब पीड़ित होश में हो, लेकिन चलने में असमर्थ हो तो इस विधि का इस्तेमाल होता है।



फायर मैन द्वारा कन्धे के माध्यम से ले जाने वाली विधि

बचावकर्ता की संख्या : एक

इस्तेमालः जब पीड़ित बेहोश हो एवं पीड़ित का वजन बचावकर्ता के वजन से ज्यादा हो, तो इस विधि का इस्तेमाल होता है।



तीन हाथों पर बैठाने वाली विधि

बचावकर्ता की संख्या : दो

इस्तेमालः जब घायल व्यक्ति के चोटिल हुये पैर की सहायता के लिए बचावकर्ता को किसी एक और व्यक्ति की जरूरत होती है, तो इस विधि का इस्तेमाल होता है।



चार हाथों में बैठाने वाली विधि

बचावकर्ता की संख्या : दो

उपयोगः जब घायल होश में हो और अपनी बांहों की मदद से खुद को सहारा देने में सक्षम हो तो इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है।



पीठ पर लादने की विधि

बचावकर्ता की संख्या : एक

उपयोग: जब घायल होश में हो लेकिन खुद लंबी दूरी तक चलने में सक्षम नहीं हो तो इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है।



कुर्सी की सहायता से घायल व्यक्ति को ले जाने की विधि

बचावकर्ता की संख्या : दो

उपयोग: शारीरिक रूप से अशक्त पीड़ित को ले जाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल वृद्ध लोगों के लिए भी होता है।



मानव बैसाखी की विधि

बचावकर्ता की संख्या : एक

उपयोग: जिस व्यक्ति का एक पैर घायल रहता है, उसे ले जाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल होता है।



बेहोश व्यक्ति को सहायता देने वाली विधि

बचावकर्ता की संख्या : दो

उपयोग: बेहोश पीड़ित या जिस पीड़ित के पेड़ में चोट होता है, उसे ले जाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल होता है।



LIFTING AND MOVING OF VICTIM

(घायल व्यक्ति को उठाना एवं ले जाना)

आपदा के बाद घायलों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के सही एवं सुरक्षित तरीके

1. एक व्यक्ति के द्वारा उठाकर ले जाने का तरीका



2. दो व्यक्तियों के द्वारा उठाकर ले जाने का तरीका



3. तीन व्यक्तियों के द्वारा उठाकर ले जाने का तरीका



4. घरेलू सामानों (कम्बल, चादर, टीशर्ट, लकड़ी या पाईप) की मदद से स्ट्रेचर बनाना

प्राथमिक उपचार के तरीके

आपातस्थिति में पर्याप्त देखभाल नहीं होने के कारण अक्सर जख्म बढ़ जाता है। बुरी तरह कटे हुए या जले हुए पीड़ित का इलाज अगर सही तरीके से हो तो उसे मरने और उसके अंगों को अलग किए जाने से बचाया जा सकता है। आपदा के बाद की स्थिति में सही प्राथमिक उपचार मरने वालों की संख्या को कम करने में मदद करता है।

किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या अचानक बीमार पड़े व्यक्ति के लिए चिकित्सकीय सहायता लेने के पहले उसका तत्काल किया गया इलाज प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार आपात स्थिति में उपलब्ध सामग्रियों से दी गई मदद तक सीमित है। इस बात को समझना चाहिए कि घायल का फिर से ड्रेसिंग करना और उसका आगे का इलाज प्राथमिक उपचार के दायरे से बाहर है।

प्राथमिक उपचार का सिद्धान्त

1. प्राथमिक उपचार करने वाला व्यक्ति चोट का विवरण एवं प्रकृति जानने के लिए पीड़ित की जांच करता है। यह प्राथमिक उपचार के तहत रोग का पता करने वाला हिस्सा है।
2. वास्तव में प्राथमिक उपचारकर्ता को जो उचित लगता है उसके अनुसार वह प्राथमिक उपचार करता है। यह प्राथमिक उपचार का इलाज वाला हिस्सा है।
3. प्राथमिक उपचारकर्ता घायल व्यक्ति का इलाज सुयोग्य डाक्टर से कराने की व्यवस्था करता है या उसे नजदीक के किसी अस्पताल में ले जाता है। इस काम को आमतौर पर निपटान कहा जाता है।

प्राथमिक उपचार का उद्देश्य

1. मरने से बचाना
2. स्थिति बिगड़ने नहीं देना
3. स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना

महत्वपूर्ण संकेत

चेतनावस्था का स्तर, आंख की पुतली, त्वचा एवं श्वास महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह सारा संकेत यह जानने का महत्वपूर्ण आधार है कि अस्थायी मेडिकल सहायता का संबंधित व्यक्ति पर किस तरह का असर पड़ रहा है। आप अस्थायी मेडिकल सहायता देने के दौरान इन सबकी जांच बराबर करते रहें और उसे रिकार्ड करें।

चेतनावस्था के स्तर एवं आंख की पुतली की जांच

- घायल व्यक्ति के चेतनावस्था के स्तर का आकलन करें।
- रोशनी का सामना होने पर पुतली संतुलित तरीके से सिकुड़ती है या नहीं इसे नोट करें।
- पुतलियां समान आकार की होती हैं लेकिन इनके धीमी गति से हिलने का मतलब है कि मर्सिष्ट में आक्सीजन की कमी है। सुई की नोक की तरह छोटी और आकार में समान पुतली दवाओं के नशे का संकेत दे सकती हैं।

नाड़ी, त्वचा एवं श्वसन की माप

- घायल व्यक्ति की नाड़ी की गति, लय एवं शक्ति का पता करें।
- घायल व्यक्ति के आंख की पलक के ऊपरी एवं भीतरी त्वचा को देखें एवं उसके रंग को नोट करें।
- गति, लय एवं शक्ति के आकलन के लिए घायल व्यक्ति के श्वसन का आकलन करें।
- गरम एवं सूखा त्वचा या गरम एवं पसीनायुक्त त्वचा, दोनों ही बुखार या हृदय से जुड़ी बीमारी का संकेतक हो सकता है।
- नीले रंग की त्वचा आक्सीजन की कमी का संकेतक हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा दिखता है तो घायल व्यक्ति की श्वास की जांच करें। इन सारे कामों को जल्दी से और बगैर हड्डबड़ाहट के करें।
- अगर श्वास रुक गई हो तो कृत्रिम श्वसन दें।
- रक्त रिसाव को रोकें, और इसपर नजर रखें या घायल व्यक्ति को यथाशीघ्र वहां से हटाकर सदमें का इलाज करायें।
- घायल को ढाढ़स बंधाएं एवं एवं उसके आसपास लोगों की भीड़ नहीं जमा होने दें, क्योंकि ताजी हवा का होना जरूरी है। अंततः यथासंभव जल्द से जल्द घायल को अस्पताल ले जाने या उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करें।

अस्पताल पूर्व चिकित्सा प्रशिक्षण

CARDIO PULMONARY RESUSCITATION (CPR) हृदय गति को पुनर्जीवित करना

CPR

हृदय गति रुकने के लगभग 6 मिनट बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
हृदय गति के रुकने के 6 मिनट के अन्दर छाती के उपर 30 बार दबाव
एवं 2 बार कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया को CPR कहते हैं।



हृदय गति को पहचानने का तरीका

- नम्बर के संचरण को जाँचना।
- मुँह के द्वारा श्वास नली को देखना।
- श्वास का पता लगाना (देखकर, सुनकर एवं महसुस कर -LLF Method)



CPR देने का तरीका

- रोगी को समतल एवं मजबूत सतह पर लेटा दें।
- छाती के उपर के कपड़े को हटायें।
- दोनों निप्पल के मध्य भाग वाले स्थान पर एक हाथ के उपर दूसरे हाथ को जाकड़कर 30 बार 5 से.पी. तक दबायें।
- रोगी के मुँह के उपर रुमाल या साफ कपड़े को रखकर दो बार श्वास दें।
- 30 बार दबाव एवं 2 बार श्वास देने की प्रक्रिया को 20 सेकेण्ड में पूरा करें और यह कार्यवाही तब तक करते रहें जब तक कि हृदय गति पुनर्जीवित न हो जाये।
- साथ ही अच्छे डाक्टर से भी संपर्क करें।

SPLINTING (खपच्ची बाँधना)

खपच्ची निम्न चीजों की सहायता से बना सकते हैं—

- पुस्तक या गत्ते की मदद से।
- लकड़ी की सहायता से।
- स्केल की मदद से।



BLOOD CONTROL (रक्तश्वाव का नियंत्रण)

किसी दुर्घटना के कारण शारीर के किसी अंग से रक्तश्वाव (Bleeding) को रोकने के तरीके

1. Direct Pressure

सीधा दबाव डालकर



2. Elevation चोट वाले

भाग को उँचा उठाकर



3. Pressure Point

रक्त धमनियों पर दबाव डालकर



4. Tourniquet

रक्तबंध का प्रयोग कर



भूकम्प के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा पर मॉकड्रिल

1. परिचय

- (I) आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की आपदा आने पर स्कूलों में भारी नुकसान के अंदेशा को नकारा नहीं जा सकता है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्न है :—
- विद्यालय में आपदा से निपटने के लिए तैयारी रखने की संस्कृति को बढ़ावा देना।
 - आपदा से निपटने के लिए तैयारी और सुरक्षा उपायों पर विद्यालय समुदाय तथा बच्चों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
 - अधिकारियों/कर्मचारियों, अध्यापकों तथा छात्रों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
- (ii) विभिन्न आपदाओं में जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है कि हर एक विद्यालय के स्तर पर आपदा प्रबंधन तैयारी तथा कार्यवाही योजनाओं को सुचारू रूप से तैयार किया जाये तथा इसे अमल में लाया जाये। सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी बात यह है कि विद्यालय के अध्यापकों तथा बच्चों को आपदा प्रबंधन में इस प्रकार जागरूक किया जाये जिससे कि वे विद्यालय परिसर में किसी आपातस्थिति में कारगर ढंग से कार्यवाही करने या उससे निपटने के लिए बेहतर स्थिति में तैयार रहें।
- (iii) वर्तमान परिवेश में यह जरूरी है कि प्रत्येक विद्यालय में आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाये तथा समयान्तराल पर इसका रिहर्सल भी किया जाये ताकि विद्यालय के प्रत्येक छात्र व अध्यापक इससे भली-भांति अवगत रहे। साथ ही, विद्यालय स्तर पर आपातकालीन किट को तैयार करके रखा जाये जिसकी मदद आपदा के दौरान लिया जा सके।

2. स्कूल में मॉकड्रिल कराने का उद्देश्य :

- किसी आपदा के दौरान स्कूल के अध्यापक व छात्र उचित कार्यवाही कर सके ताकि नुकसान कम से कम हो।
- मॉक ड्रील एक ऐसा माध्यम है जिससे छात्रों व अध्यापकों में आपदा के दौरान उचित कार्यवाही हेतु साहस व विश्वास पैदा होता है।
- विद्यालय के शिक्षकों व छात्रों को जीवन बचाव से सम्बंधित तकनीक की जानकारी देना। विद्यालय द्वारा तैयार किये गये 'विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना' की वास्तविकता का सर्वेक्षण करना तथा कमियों को बताना ताकि भविष्य में उसे सुधारा जा सके।

3. विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा Response Team का गठन

क्रसं०	टीम	टीम की बनावट	मुख्य काम
01.	इन्सीडेन्ट कमाण्डर	प्रधानाचार्य	<ol style="list-style-type: none"> आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से किया जाये। किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर-सरकारी एजेन्सियां स्कूल परिसर में पहुँचती हैं तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना।
02.	स्कूल आपदा प्रबंधन समिति	प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य शिक्षक—02 (01—पुरुष, 01—महिला) स्कूल स्टाफ—02	<ol style="list-style-type: none"> 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना। समयान्तराल पर 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे Update करना। आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा स्कूल में आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव सम्बंधित तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन करना। समय-समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों के मदद से स्कूल परिसर में आपदा के विभिन्न पहलूओं पर मॉकड्रिल आयोजित करना।

			<p>5. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का सम्पर्क नम्बर रिकार्ड में रखना व समयान्तराल पर उसे Update करना।</p> <p>6. आपदा से संबंधित प्रशिक्षण व मैंक फ़ील में स्कूल के सभी अध्यापकों एवं छात्रों के भागीदारी को सुनिश्चित करना।</p>
03.	Awareness Compaign Team	05–06 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों के संख्या पर निर्भर)	<p>1. आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन करना।</p> <p>2. स्कूल परिसर में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, तस्वीर, पम्पलेट, आसान तरीका (Simple Tips), Do's & Don't प्रदर्शित करना।</p> <p>3. स्कूल में आपदा प्रबंधन से संबंधित लेख/निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।</p>
04.	आपातकालीन अलार्म टीम	शिक्षक—02 स्कूल स्टॉफ—01	<p>1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यायल परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से एलर्ट करना।</p> <p>2. अलग—अलग घटनाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अलार्म मुकर्रर किये जा सकते हैं जो कि छात्रों व अध्यापकों सभी को मालुम हो।</p>
05.	Evacuation Team	05–06 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों के संख्या पर निर्भर)	<p>1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शान्तिपूर्वक ढंग से वलास रूम से बाहर निकालना व एसेम्बली प्लाइंट में इकट्ठा करना।</p> <p>2. एसेम्बली प्लाइंट में बच्चों की गीनती करना तथा इसका रिपोर्ट 'स्कूल आपदा प्रबंधन कमीटी' व खोज व बचाव टीम को देना।</p>
06.	खोज व बचाव टीम	05–06 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों के संख्या पर निर्भर)। इस टीम में स्कूल के सिनियर छात्रों के सेक्षण को भी शामिल किया जाये।	एसेम्बली प्लाइंट में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरन्त खोज व बचाव कार्य करना।
07.	प्राथमिक उपचार टीम	स्कूल डॉक्टर/ नर्स 03–04 शिक्षक स्कूल के सिनियर सेक्षण के छात्रों को भी शामिल किया जाये।	<p>1. धायल छात्रों अध्यापकों या अन्य स्कूल स्टॉफ को प्राथमिक उपचार देना।</p> <p>2. स्कूल परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना।</p>
08.	फायर फाईटिंग टीम	05–06 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों के संख्या पर निर्भर)	<p>1. स्कूल में उपलब्ध Fire Extinguisher के बारे में जानकारी रखना।</p> <p>2. Electric Main Supply के बारे में जानकारी होना ताकि Short Circuit की स्थिति में Main Supply काटा जा सके।</p> <p>3. आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।</p>
09.	परिवहन प्रबंधन टीम	स्कूल के Vehicle Cordinator शिक्षक—02 सिनियर सेक्षण के छात्र—02	<p>1. स्कूल में उपलब्ध सभी गाड़ियों उनके रुट व आने जाने वाले छात्रों की सूची तैयार रखना।</p> <p>2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान स्कूल आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।</p>
10.	मीडिया प्रबंधन टीम	उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ स्कूल स्टाफ	<p>1. मीडिया ब्रीफिंग से पहले स्कूल आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना।</p> <p>2. आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के सम्पर्क में रहना।</p>

4. मॉक ड्रील के तरीके
स्कूल के अध्यापकों/छात्रों द्वारा
चरण—1 : अलार्म



पूर्व निर्धारित समय पर 01 मिनट तक भूकंप आने की चेतावनी दें। इसके लिए पूर्व निर्धारित एलार्म/सायरन होना चाहिए जो समस्त विद्यालय कर्मियों एवं छात्रों को पता हो।

चरण—2 : झुको, ढ़को, पकड़ो (डक, कवर, होल्ड) की कार्यवाही



इस चरण में कार्यालय/स्कूल क्लास रूम में प्रत्युत्तर स्वरूप छात्रों द्वारा झुकना, बैंच/कुर्सी/टेबल आदि में कवर लेना एवं उसे मजबूती से पकड़ना इत्यादि शामिल है।

चरण—3 : इवेक्यूवेशन




- भूकम्प के वार्निंग एलार्म/सायरन के बन्द होने के बाद अध्यापकों के सहयोग से छात्रों को क्लास रूम से बाहर शान्तिपूर्ण तरीके से निकाला जायेगा।
- तत्पश्चात् विद्यालय कर्मी द्वारा बिल्डिंग के डैमेज होने की स्थिति की जाँच की जायेगी। यदि विद्यालय परिसर का कोई कमरा ध्वस्त होता है और उसमें छात्र फैसे हो तो तुरन्त प्रधानाचार्य द्वारा इसकी सूचना पुलिस/स्थानीय प्रशासन को दिया जायेगा और राहत व बचाव की मांग किया जायेगा।

चरण—4 : एसेम्बली



सम्पूर्ण स्कूल स्टॉफ एवं छात्रों को पूर्व निर्धारित एसेम्बली प्लाइंट पर इकट्ठा किया जायेगा।

चरण—5 : स्कूल के खोज एवं बचाव टीम द्वारा कार्यवाही




इस चरण में स्कूल द्वारा गठित खोज एवं बचाव टीम अपना कार्य करेगी।

चरण—6 : स्कूल के प्रथम चिकित्सा उपचारक टीम द्वारा कार्यवाही



विद्यालय द्वारा गठित प्रथम चिकित्सा उपचारक टीम घायलों को अस्पताल पूर्व चिकित्सा प्रदान करेगी।

चरण-7 : संख्या गिनती



इस क्रम में एसेम्बली प्लाइंट पर इकठठा हुये छात्रों की उपस्थिति पंजीका के अनुसार संख्या मिलान की जायेगी एवं किसी के गायब होने की अवस्था में इसकी सूचना खोज एवं बचाव टीम की दी जायेगी।

चरण-8 : मूल्यांकन

पूर्व निर्धारित कार्मिकों के द्वारा मुल्यांकन किया जायेगा एवं इस दौरान आई समस्याओं को अवगत कराया जायेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार के मॉक ड्रील में इसे ठीक किया जा सके।

मॉकड्रील को प्रभावी करने की वास्तविक क्रिया

1. ड्रील शुरू करने से पहले विभिन्न स्थलों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे।
2. एक मिनट तक मुकर्रर एलार्म/सायरन बजाया जायेगा जो कि प्राकृतिक आपदा भूकंप को जाहिर करेगा।
3. वार्निंग एलार्म/सायरन के दौरान समस्त कर्मी/शिक्षक एवं विद्यार्थी झुको, ढ़को, पकड़ो (डक, कवर एवं होल्ड) का कार्य करेंगे।
4. जैसे ही वार्निंग सिग्नल बन्द होगा, तैनात अधिकारी/शिक्षक भवन की क्षति को चेक करेंगे एवं एसेम्बली प्लाइंट की तरफ जाने की स्थिति पर फैसला लेंगे।
5. क्लास टीचर, लीडर, प्रधान कर्मी सबसे अन्त में भवन को छोड़ेंगे।
6. कार्यालय/विद्यालय में बना टास्क फोर्स भवन खाली करते समय दिशा निर्देश देते रहेंगे।
7. घायल का भूमिका करने वाले छात्र अन्दर क्लास रूम में सुरक्षित जगह पर रहेंगे।
8. नियुक्त अधिकारी/शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र बाहर आ गये हैं।
9. संख्या गिनती के बाद टास्क फोर्स विभिन्न कार्य करें।

5. निष्कर्ष

विभिन्न प्रकार के आपदाओं के संदर्भ में स्कूलों में आयोजित किये जाने वाले मॉक ड्रील वास्तव में 'आपदा प्रबंधन योजना' का एक परीक्षण है। आपातकालीन स्थिति के दौरान स्कूल परिसर में अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों को और बेहतर बनाने के लिए यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तरीका है ताकि आपदा के वास्तविक घटना के दौरान क्षति को कम किया जा सके। साथ ही, मॉकड्रील आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य से जुड़े राहत कर्मियों को एक साझा मंच प्रदान करता है जिससे उनके आत्म-विश्वास में बढ़ावा मिलता है एवं उनकी व्यवहारिक कार्यकृशलता एवं उपलब्ध संसाधनों का सही मूल्यांकन होता है।

जिला, प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्यक्रम एवं उसके क्रियान्वयन की जानकारी हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक 3015 दृष्टव्य—

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
(राज्य स्तरीय कार्यालय)
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004



Bihar Education Project Council
(State Level Office)
Shiksha Bhawan, Rastrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Raiendra Nagar Patna-800004

पत्रांक: Media/Disaster/92/2015-16/ 3015

दिनांक :- ०५/०६/२०१२

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रातिशो एवं सर्व शिक्षा अभियान)
सभी जिले, (बिहार)

विषय:-

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा एवं मॉक-ड्रिल (Mock Drill) आयोजन के साथ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार एक बहुआपदा प्रभावित राज्य है। यह राज्य भूकंप से प्रभावित जोन-4 एवं 5 में वर्गीकृत है। इसके साथ ही विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा हेतु व्यापक इंतजाम करने की आवश्यकता है। उक्त पृष्ठभूमि में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के निदेशानुसार पूरे राज्य में “विद्यालय सुरक्षा जागरूकता दिवस” के रूप में प्रतिवर्ष 04 जुलाई को मनाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2015-16 से आयोजित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में लिए गए निर्णय के आलोक में पुनः वित्तीय वर्ष 2017-18 में जुलाई माह के प्रथम पक्ष को “विद्यालय सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा” तथा दिनांक 04 जुलाई 2017 को विद्यालय सुरक्षा जागरूकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु चार स्तरों पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया गया है, जो निम्नवत है:-

प्रथम स्तर - राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से पटना में आयोजित किया जायेगा:-

प्रस्तावित तिथि	प्रशिक्षक	जिला का नाम	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल
12 जून 2017	2 शिक्षक एवं 2 शिक्षिका Elementary विद्यालय से DEO, DPO- SSA, मिडिया प्रभारी (SSA),	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, भागलपुर एवं बांका	NDRF / SDRF / BSDMA / FIRE SERVICES / HEALTH DEPARTMENT / UNICEF / SAVE THE CHILDREN / DOCTORS FOR YOU	A.N. Sinha Institute, North Gandhi Maidan, Patna
13 जून 2017		पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, दरभंगा, बेगुसराय		
14 जून 2017		जहानाबाद, नवादा, गया, अरबल, औरंगाबाद, मधुबनी, समस्तीपुर		

G:/shahada/Anil sir letter Folder/Letter File



■:0612-2667168, fax: 0612-2667190, Email: ssabihar@gmail.com, Website www.bepssa.in

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
 (राज्य स्तरीय कार्यालय)
 शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
 सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004



**Bihar Education Project Council
 (State Level Office)**
 Shiksha Bhawan, Rastrabhasha Parishad Campus,
 Saidpur, Raiendra Naer Patna-800004

15 जून 2017		पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मध्यपुरा, सुपौल, खगड़िया		A.N. Sinha Institute, North Gandhi Maidan, Patna
16 जून 2017		मुगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सारण, सीवान, गोपालगंज		

द्वितीय स्तर - जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा आयोजित किया जायेगा:-

प्रस्तावित तिथि	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के मुद्दे	प्रशिक्षक
15 जून से 20 जून 2017	सभी प्रखंड से 2 शिक्षक एवं 2 शिक्षिका सभी प्रखंड के निजी विद्यालयों 2 शिक्षक एवं 2 शिक्षिका सभी BEO, BRPs, CRCCs, अग्निशमन पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, जिला स्तरीय जन प्रतिनिधि	भूकंप एवं अगलगी से बचाव एवं अभ्यास, बाढ़, सूखा, शीतलहर, गर्म हवाओं अथवा लू, वज्रपात, औंधी/चक्रवाती तूफान, सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, डूबने से बचाव, भगदड, सर्प दंश, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी	राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक, NDRF / SDRF / FIRE SERVICES / सिविल सर्जन / CIVIL DEFENCE

- ① प्रशिक्षण स्थल डाइट परिसर अथवा जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थल होगा
- ② अधिकतम 50 प्रतिभागियों का एक बैच बना कर प्रशिक्षण दिया जायेगा
- ③ क्रमानुसार जिन जिलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न होता जाएगा वे अपने जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे

तृतीय स्तर - प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा आयोजित किया जायेगा:-

प्रस्तावित तिथि	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के मुद्दे	प्रशिक्षक
19 से 25 जून 2017	सभी CRCC सभी विद्यालयों के 1 शिक्षक एवं 1 शिक्षिका सभी निजी विद्यालयों के 1 शिक्षक एवं 1 शिक्षिका अग्निशमन पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय जन प्रतिनिधि एवं सभी पंचायतों के मुखिया / वार्ड सदस्य	भूकंप एवं अगलगी से बचाव एवं अभ्यास, बाढ़, सूखा, शीतलहर, गर्म हवाओं अथवा लू, वज्रपात, औंधी/चक्रवाती तूफान, सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, डूबने से बचाव, भगदड, सर्प दंश, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी	जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक / NDRF / SDRF / प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी

- ① प्रशिक्षण स्थल BRC परिसर होगा
- ② अधिकतम 30 प्रतिभागियों का एक बैच बना कर प्रशिक्षण दिया जायेगा
- ③ क्रमानुसार जिन प्रखंडों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न होता जाएगा वे अपने प्रखंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
 (राज्य स्तरीय कार्यालय)
 शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
 सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004



Bihar Education Project Council
 (State Level Office)
 Shiksha Bhawan, Rastrabhasha Parishad Campus,
 Saidpur, Raiendra Naer Patna-800004

चतुर्थ स्तर - विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बंधित
प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालय परिसर में आयोजित किया जायेगा:-

प्रस्तावित तिथि	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के मुद्दे	प्रशिक्षक	प्रेषक
30 जून से 3 जुलाई 2017	सभी छात्र एवं छात्राएं सभी शिक्षक एवं शिक्षिका सभी निजी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिका विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य जीविका दीदी अभिभावक पंच	भूकंप एवं अग्नलगी से बचाव एवं अभ्यास, बाढ़, सूखा, शीतलहर, गर्म हवाओं अथवा लू, बज्जपात, औंधी/चक्रवाती तूफान, सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, डूबने से बचाव, भगदड, सर्प दंश, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी	प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक	NDRF / SDRF

◎ प्रशिक्षण स्थल विद्यालय परिसर होगा

इसके साथ ही दिनांक 04 जुलाई 2017 को विद्यालय सुरक्षा जागरूकता दिवस का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है:-

विद्यालय स्तर पर :-

विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन

- प्रभातफेरी
- वृक्षारोपण
- भूकंप, आगजनी, एवं प्राथमिक उपचार पर सामूहिक मॉकड्रिल

जिला स्तर पर :-

जिला मुख्यालय के चयनित स्थल पर कुछ चयनित विद्यालय (सरकारी एवं निजी) के बद्वाँ के साथ जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सामूहिक मॉकड्रिल

स्कूल सुरक्षा पखवाड़ा हेतु विद्यालय में कार्यक्रम (01 – 15 जुलाई)

तिथि	दिन	कार्यक्रम
1 जुलाई	शनिवार	विद्यालय स्तर पर अभिभावक, विद्यालय सेवा समिति एवं छात्र-छात्राओं के साथ बैठक कर पुरे कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा।
2 जुलाई	रविवार	अवकाश
3 जुलाई	सोमवार	विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम हेतु तैयारी एवं जवाबदेही विद्यालय परिवार के सदस्यों को सौंपना तथा भूकंप एवं आगजनी के मॉकड्रिल का पूर्वाभ्यास
4 जुलाई	मंगलवार	प्रभातफेरी, वृक्षारोपण, भूकंप, आगजनी, प्राथमिक उपचार की जानकारी एवं मॉकड्रिल
5 जुलाई	बुधवार	सड़क दुर्घटना से खतरे की जानकारी एवं उपाय
6 जुलाई	गुरुवार	बाढ़, नाव दुर्घटना एवं डूबने से बचाव की जानकारी एवं उपाय

शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना-800004



(State Level Office)
Shiksha Bhawan, Rastrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Raiendra Nagar Patna-800004

7 जुलाई	शुक्रवार	बज्रपात, सर्पांश एवं जानवरों के काटने से बचाव तथा उपाय
8 जुलाई	शनिवार	सूखा, लू, और्धी / चक्रवाती तृकान से बचाव
9 जुलाई	रविवार	अवकाश
10 जुलाई	सोमवार	जलवायु परिवर्तन (वृक्षारोपण, जल संरक्षण इत्यादि) की जानकारी
11 जुलाई	मंगलवार	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बंधित जानकारी एवं बचाव
12 जुलाई	बुधवार	शीतलहर, भगदड से बचाव की जानकारी एवं बचाव
13 जुलाई	गुरुवार	स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेटिंग प्रतियोगिता का विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय का चयन कर पुरस्कृत करना
14 जुलाई	शुक्रवार	भूकंप एवं आगजनी पर मॉकड्रिल
15 जुलाई	शनिवार	स्थानीय आपदा की जानकारी एवं उससे बचाव
17 से 20 जुलाई		सम्पूर्ण कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण विद्यालय स्तर पर करके CRCC को सौंपना

अतः उपरोक्त पूर्व तैयारियों को कुशल नेतृत्व प्रदान कर सुचारू रूप से कार्यक्रम संपन्न कराया जाय तथा इस हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार प्रथम स्तर पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।

विश्वसभाजन

(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक-Media/Disaster/92/2015-16/ 3015

पटना, दिनांक- ०५/०६/२०१७

प्रतिलिपि- सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचीर्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक-Media/Disaster/92/2015-16/ 3015

पटना, दिनांक- ०५/०६/२०१७

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

राज्य परियोजना निदेशक



संपादकीय सहयोग

अनुज तिवारी

वरीय सलाहकार,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

डॉ० पल्लव कुमार

परियोजना पदाधिकारी

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मोनीषा दूबे,

वरीय संपादक,

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विनय कुमार

राज्य सलाहकार,

यूनिसेफ, पटना

प्रस्तुति :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का संयुक्त प्रयास ।

आभार :

वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा मुद्रण में सहयोग ।

यूनिसेफ, 9 एन०डी०आर०एफ० एवं एस०डी०आर०एफ० द्वारा संकलन में तकनीकी सहयोग ।



संपादकीय सहयोग

अनुज तिवारी
वरीय सलाहकार,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

डॉ० पल्लव कुमार
परियोजना पदाधिकारी
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मोनीषा दूबे,
वरीय संपादक,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विनय कुमार
राज्य सलाहकार,
यूनिसेफ, पटना

प्रस्तुति :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् का संयुक्त प्रयास ।

आभार :

वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा मुद्रण में सहयोग ।
यूनिसेफ, ९ एन०डी०आर०एफ० एवं एस०डी०आर०एफ० द्वारा संकलन में तकनीकी सहयोग ।